

पत्रांक-श्रम क०सं०-58/2025(अंश)-१५४
बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति
आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना (संशोधन) 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, बेगूसराय के ज्ञापांक (कॉलम 6 में वर्णित) से छात्रवृत्ति हेतु कक्षा 12वीं/11वीं में अध्ययनरत 05 छात्र/छात्रा को प्रति छात्र/छात्रा रू० 2,500/- (दो हजार पाँच सौ रुपए मात्र) की दर से कुल राशि रू० 12,500/- (बारह हजार पाँच सौ रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में दावेदार कामगारों/शिल्पकारों के अध्ययनरत पुत्र/पुत्री को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके पुत्र/पुत्री का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि, कार्य की प्रकृति	पुत्र/पुत्री का नाम	अध्ययनरत छात्र/छात्रा का कक्षा/संस्थान	माता एवं पिता का आधार संख्या	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता/मो०	पुत्र/पुत्री का बैंक एवं खाता संख्या/आई.एफ.एस.सी	छात्रवृत्ति हेतु स्वीकृत अनुदान की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	वीरों तांती, उम्र-52 वर्ष, पिता-जनक तांती, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, खेतिहर मजदूर	रामदाय कुमारी.	12वी कक्षा / 2024-26 / उत्क्रमित उच्च +2 विद्यालय, कटरमाला डंडारी	8160309549 16 (पिता), 9673430857 72 (माता)	346 24.02. 2026	ग्राम-सुघरन, पो०-कटरमाला, थाना+प्रखंड-डंडारी, जिला-बेगूसराय, मो०-9708571483	यूको बैंक, खाता सं०-13763211037552, IFSC-UCBA0001376	2,500/- (दो हजार पाँच सौ रुपये)
2	नन्द किशोर तांती, उम्र-52 वर्ष, पिता-भुटकुन तांती, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, खेतिहर मजदूर	चौदनी कुमारी.	12वी कक्षा / 2024-26 / उत्क्रमित उच्च +2 विद्यालय, कटरमाला डंडारी	3085581775 84 (पिता), 9884527165 22 (माता)	346 24.02. 2026	ग्राम-सुघरन, पो०-कटरमाला, थाना+प्रखंड-डंडारी, जिला-बेगूसराय, मो०-9135166235	यूको बैंक, खाता सं०-13763211043911, IFSC-UCBA0001376	2,500/- (दो हजार पाँच सौ रुपये)
3	पंकज तांती, उम्र-39 वर्ष, पिता-राम शरण तांती, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, खेतिहर मजदूर	नेहा कुमारी.	12वी कक्षा / 2024-26 / उत्क्रमित उच्च +2 विद्यालय, कटरमाला डंडारी	2796974587 21 (पिता), 3369019579 08 (माता)	346 24.02. 2026	ग्राम-सुघरन, पो०-कटरमाला, थाना+प्रखंड-डंडारी, जिला-बेगूसराय, मो०-6209402504	यूको बैंक, खाता सं०-13763211038825, IFSC-UCBA0001376	2,500/- (दो हजार पाँच सौ रुपये)
4	बबलू महता, उम्र-50 वर्ष, पिता-अकलेश्वर महता, अत्यंत पिछड़ी जाति, राजमिस्त्री के हेल्पर	रितिक राज कुमार.	11वी कक्षा / 2025-27 / उत्क्रमित उच्च +2 विद्यालय, कटरमाला डंडारी	9972604213 90 (पिता), 4233367700 75 (माता)	346 24.02. 2026	ग्राम-सुघरन, पो०-कटरमाला, थाना+प्रखंड-डंडारी, जिला-बेगूसराय, मो०-7808609225	यूको बैंक, खाता सं०-13763211071204, IFSC-UCBA0001376	2,500/- (दो हजार पाँच सौ रुपये)
5	रंजीता देवी, उम्र-37 वर्ष, पति-मोती कुमार, अत्यंत पिछड़ी जाति, खेतिहर मजदूर एवं मनरेगा मजदूर	ज्योति कुमारी.	12वी कक्षा / 2024-26 / उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, अमरपुर, बरौनी	7287549005 23 (माता), 2008237475 80 (पिता)	346 24.02. 2026	ग्राम+पो०-अमरपुर, थाना+प्रखंड-बरौनी, जिला-बेगूसराय, मो० नं०-6299970817	यूको बैंक, खाता सं०-12343211019725, IFSC-UCBA0001234	2,500/- (दो हजार पाँच सौ रुपये)

कुल :-रू० 12,500/-
(बारह हजार पाँच सौ रुपए मात्र)



2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 09) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 03 में अंकित पुत्र/पुत्री के बैंक खाते कॉलम 08 में किया जाएगा।

ह०/
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-58/2025(अंश)-958

पटना, दिनांक :- १२/०३/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित पुत्र/पुत्री को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 09 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि रु० 12,500/- (बारह हजार पांच सौ रूपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। श्रम अधीक्षक, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटीओ मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

22/03/2026
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bhauli
(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक